प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 9

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2021.....
प्र. इ. रि. स. .....35/22..... दिनांक .....8/2/2022.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ..... 201, 120बी भा.द.सं.....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....135.....समय.....9.45 A.M.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 06.02.2022.... समय 10.05 पी.एम. .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 03.02.2022 समय.....01.10 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा पूर्व 1 किमी .....
(ब) पता – पुलिस थाना गंज, अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री विनोद वैष्णव.....
(ब) पिता का नाम श्री बद्री दास वैष्णव .....
(स) जन्म तिथि / वर्ष 30 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट .....
(ल) पता ... गाडरियो का मोहल्ला, जोयडा पोस्ट निलोद तहसील भूपाल सागर जिला चितोडगढ हाल यू.आई.टी. कॉलोनी, मेला तालाब, गोर्वधन विलास उदयपुर .....
7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री भागचन्द रावत पुत्र श्री बिजा सिंह रावत उम्र 43 साल, निवासी नया गांव पोस्ट राजगढ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हाल मकान न0 ए–1 जवाहर कालोनी पर्वतपुरा (माखुपुरा) बाईपास अजमेर हाल हैड कानि न0 1837 रीडर वृताधिकारी वृत दरगाह, अजमेर मो.नं. 9588299461,
2. श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री सांवर लाल शर्मा उम्र 27 साल जाति ब्राह्मण निवासी गांव खापरी पोस्ट भवानीखेड़ा, पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर हाल हटूण्डी रोड़ श्मशान के पास माखुपुरा, अजमेर मो.नं. 7568267873
3. श्री कुशाल सिंह राव पुत्र श्री भंवर सिंह राव उम्र 29 साल जाति राव निवासी म.नं. 525, अर्जुन लाल सैठी नगर, आदर्श नगर, अजमेर मोबाईल नं. 8949389715

एवं अन्य।

8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

.....60,000रू0 रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....60,000 / – –रू0 रिश्वत राशि .....

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)....

सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– रिश्वत लेते हुये को पकडावाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुज प्रार्थी विनोद वेष्णव व मेरे साले व सुसराल वालो के खिलाफ मेरे साले हितेष की पत्नी श्रीमति ममता साहु पुत्री श्री बाबुलाल उम्र 28 साल निवासी अजमेर ने दिनांक 31.12.2021 को पुलीस थाना गंज अजमेर में F.I.R. NO. 407/21 अपहरण व बलात्कार के संबंध में दर्ज करवाई, जिसकी कॉपी हमने कोर्ट से निकलवाई है। इस मुकदमें कि जांच श्री पार्थ शर्मा, सी.ओ. साहब दरगाह अजमेर द्वारा की जा रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सी.ओ. साहब का रिडर भागचन्द व उनका दलाल श्री मनीष शर्मा जो कि अपने आपको वकिल बताता है लगातार फोन से सम्पर्क कर मुकदमें में FR लगाने के लिए 3 लाख रू रिश्वत की मांग कर रहे है। श्री पार्थ शर्मा सी.ओ. साहब दिनांक 19.1.22 को मेरे साले के उदयपुर के किराये के मकान पर जांच करने आये थे तब मुझे और मेरी पत्नी को भी वहा पर बुलाया था। उस दिन डिपटी साहब पार्थ शर्मा ने ईशारे में रूपये मागे वे अजमेर

अ

आने के लीए कहा था। इसके बाद दिनांक 28.01.22 को भागचन्द रिडर उदयपुर मेरे साले के घर आये थे जहा पर मे भी उनसे मिला था। तब भागचन्द ने मुझसे कहा कि रूपयो कि वेवस्था करके अजमेर आ जाओ डिपटी साहब से बात हो गई है। FR लगा देन्गे तथा मनिष से मिलने के लिए कहा था। मे रिश्वत नही देना चाहता हु कार्यवाही करावे दिनांक 3/2/2022 प्रार्थी हस्ता0 विनोद/बद्रीदास वेष्णव 8849801783

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समयः— 1.10 पीएम दि0 03.02.2022

उपरोक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री विनोद कुमार वैष्णव पुत्र श्री बद्री दास जाति वेष्णव उम्र 30 साल निवासी गाडरियो का मोहल्ला, जोयडा पोस्ट निलोद तहसील भूपाल सागर जिला चितोडगढ हाल यू.आई.टी. कॉलोनी, मेला तालाब, गोर्वधन विलास उदयपुर ने अपने मौसेरे भाई श्री गणेश उर्फ गोविन्द पुत्र श्री प्रभुदास वेष्णव उम्र 37 साल निवासी छीपो का आकोला पुलिस थाना आकोला जिला चितौडगढ हाल पाला गणेश मन्दिर के पास उदयपुर पुलिस थाना घण्टाघर उदयपुर मोबाईल नम्बर 8003943636 ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी श्री विनोद वैष्णव को पढकर सुनाया तो स्वंय का हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न अपने—अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं परिवादी विनोद ने उसके व उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना गंज अजमेर मे दर्ज एफआईआर नम्बर 407/21 दिनाक 31.12.2021 धारा 354,366,376डी,344,377,511 आईपीसी की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी विनोद वेष्णव व उसकी पत्नि फूल कंवर, उसके साले हितेष वैष्णव, अर्जुनदास, भूपेन्द्र व सीमा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होना व प्रकरण का अनुसंधान श्री पार्थ शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, वृताधिकारी दरगाह अजमेर द्वारा किया जाना पाया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर परिवादी से दरियाप्त की गई तो बताया हमारे विरूद्ध एफआईआर मेरे साले हितेष की पत्नि श्रीमति ममता साहू निवासी अजमेर ने झूठी दर्ज करवायी है। इस प्रकरण के दर्ज होने के कुछ दिन बाद से ही सी.ओ. साहब का रीडर श्री भागचन्द जिसके मो0न0 9588299461 एवं उनका दलाल श्री मनीष जिसके मोबाईल 7568267873 है लगातार फोन पर बात कर रहे है तथा मुकदमें में एफआर लगाने के लिए श्री मनीष जो अपने आपको वकील बता रहा है ने वाहटसप पर कांल कर तीन लाख रूपये की मांग की तथा कहा कि डिप्टी साहब पार्थ शर्मा जी मेरे खास है तथा मैने पहले भी 2—3 मामले सेट करवाये है। डिप्टी सा0 आपसे सीधे रूपयों की बात नही करेगे। डिप्टी सा0 ने ही मुझे आपसे बात करने व आपसे 3 लाख रूपये लेने के लिए कहा है। दिनांक 16.01.2022 को मै व मेरा साला हितैष तथा हमारे वकील साहब पुष्पेन्द्र सिंह जी राणावत तीनो ही अजमेर आये थे उस दिन डिप्टी ऑफिस में डिप्टी साहब, श्री भागचन्द जी रीडर मिले थे तब भागचन्द जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो ममता व कविता के मध्य हुई विडियो रिकॉर्डिंग है उसकी सीडी पेश कर देना तथा 19.01.2022 को मै और डिप्टी साहब उदयपुर आयेगें तो शादी के कागजात पेश कर देना और मौका दिखा देना। दिनांक 18.01.22 को मनीष शर्मा ने भी मुझे फोन कर कहा कि कल डिप्टी साहब आ रहे हैं। इसके बाद दिनांक 19.01.2022 को डिप्टी साहब पार्थ शर्मा उदयपुर आये थे। भागचन्द उनके साथ मे नही था। डिप्टी साहब ने हमारे उदयपुर के पडौसियो के बयान लिये तथा मौका देखकर कर चले गये। इसके बाद डिप्टी सा0 का रीडर भागचन्द भी दिनांक 28.01.22 को उदयपुर आया तब भी उसने मेरे से रूपयो की मांग करते हुये कहा कि जब भी रूपयों की व्यवस्था हो जावे तो जल्दी से जल्दी अजमेर आ जाना, डिप्टी सा0 से मेरी बात हो गयी है एफआर लगा देगे तथा मनीष जी वकील हमारे ही आदमी है उनसे मिल लेना। मैने डिप्टी साहब से बात करने के लिए कहा तो कहा कि डिप्टी साहब, मै व मनीष जी एक ही है। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरा व भागचन्द, मनीष व डिप्टी साहब से आपस में कोई लेन—देन का मामला नही है व ना ही इनसे कोई रंजिश है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाप्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर कार्यालय के श्री रामचन्द्र HC 58 को बुलाकर कार्यालय की आलमारी से एक डिजिटल वांयस रिकार्डर निकलवाया जाकर उसमें एक नया मेमोरी कार्ड डालकर श्री विनोद व उसके मौसेरे भाई श्री गणेश से आपस में परिचय करवाया। इसी दौरान सी0ओ0 दरगाह के रीडर श्री भागचन्द का परिवादी के मोबाईल पर फोन आया तथा परिवादी से उसकी लोकेशन पुछी तो परिवादी ने ब्यावर होना व घण्टे भर में पहुचना

बताया। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी श्री विनोद को डिजिटल वॉयस रिकार्डर आपरेट करना समझाया जा रहा था कि इसी दौरान परिवादी के मोबाईल पर मनीष वकील का फोन आया तथा उसने भी परिवादी से लोकेशन पूछी तो परिवादी ने आधे घण्टे में पहुचने की कहा। उक्त वार्ता को भी डिजिटल वांयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी को डिजिटल वांयस रिकार्डर आंपरेट करना समझाया तथा परिवादी व उसके भाई गणेश को बताया गया कि co कार्यालय दरगाह पहुच co श्री पार्थ शर्मा व उनके रीडर से मिलकर अपने कार्य व रिश्वत की मांग के संबंध में वार्ता करे तथा इसी दौरान यदि वकील मनीष भी वहा आ जावे तो उससे भी वार्ता कर ले तथा होने वाली वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करने का प्रयास करे। परिवादी ने बताया कि मै वांयस रिकार्डर में रिकार्ड कर लूंगा तथा संभव हुआ तो मेरे मोबाईल में विडियों रिकार्डिग भी कर लूंगा। परिवादी के मोबाईल से श्री भागचन्द के मोबाईल पर फोन मिला कर परिवादी द्वारा पूछा गया कि कहा आना तो भागचन्द द्वारा पूर्व में जहां आया वही सीओ कार्यालय दरगाह अजमेर पर बुलाया। इत्यादि उक्त वार्ता को भी वांयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। रामचन्द्र हैड कानि0 को परिवादीगण के साथ–साथ सीओ कार्यालय दरगाह पर जाने तथा परिवादीगण व संदिग्ध के मध्य होने वाली वार्ता को सूनने व देखने का प्रयास करने बाबत हिदायत कर रवाना किया गया। परिवादी श्री विनोद, गणेश उर्फ गोविन्द व रामचन्द्र हैड कानि उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने डिजिटल वांयस रिकार्डर पेश करते हुये बताया कि रवाना हो हम सी0ओ0 कार्यालय दरगाह पर पहुचे जहां पर रीडर श्री भागचन्द, श्री मनीष वकील व उसका सहायक श्री कुशाल राव तीनों पहले से ही मौजूद मिले जिनसे हमारी वार्ता हो गयी हैं। वकील मनीष ने सी0ओ0 सा0 पार्थ शर्मा के लिए 2.30 लाख रूपये व स्वंय के 10 हजार रूपये मांगे तथा 5 हजार रूपये अभी ले लिये। सारी बाते भागचन्द रीडर के सामने हुयी है। वकील मनीष व उसके सहायक ने कहा कि हमने डिप्टी सा0 से पहले भी 5–7 मामले सेट करवाये है। मैंने डिप्टी सा0 से मिलने की कहा तो मनीष व भागचंद ने कहा कि वैसे डिप्टी साहब अभी यहां नही है उर्स मैले में ड्यूटी लगी हुयी है और यदि आप कम करने की कहोगे तो भडक जायेगे। डिप्टी साहब से मुलाकात नही हो सकी। भागचन्द व मनीष ने दिनांक 07.02.22 को सुबह जल्दी आने व अपने साथ एफआईआर में नामजद सभी व्यक्तियों एवं चार गवाह भी साथ लाने के लिए कहा है। डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर देख गया तो फोल्डर नं0 07 में 38 मिनिट करीब वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। वार्ता के मुख्य मुख्य अंश परिवादी के बतायेनुसार वायस रिकार्डर चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। सहपरिवादी श्री गणेश उर्फ गोविन्द ने बताया कि मैने मेरे मोबाईल में उपरोक्त समस्त घटनाक्रम की विडियों रिकार्डिग रिकार्ड की है तथा वकील मनीष ने मेरे से ही पांच हजार रूपये रिश्वत राशि ली है। परिवादीगण ने बताया कि हमारे उदयपुर जाने वाली बस का समय हो रहा है। इस पर परिवादीगण को दिनांक 06.02.22 को सांय तक रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर उपस्थित होने हेतु बताया गया। सहपरिवादी श्री गणेश उर्फ गोविन्द दास को बताया गया कि उसके द्वारा की गई विडियों रिकार्डिग को अपने मोबाईल में सुरक्षित रखे तथा उक्त रिकार्डिंग की सीडी पेश करे। डिजिटल वांयस रिकार्डर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादीगण को हिदायत मुनासिब कर रूखस्त दी गई। तलबशुदा गवाह श्री बसंत कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं शंकर गुर्जर, कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये जिन्हे दुरभाष पर तलब किये जाने पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूखस्त किया गया।

दिनांक 04.02.2022 को डिजिटल वायस रिकार्डर निकलवाया जाकर उक्त रिकार्डर में फोल्डर नं0 1,2,6,7 में रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने हेतु श्री शिव सिंह कानि0 को निर्देश दिये गये। दिनांक 05.02.2022 को परिवादी श्री विनोद ने जरिये दुरभाष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि शाम को श्री भागचन्द का मेरे पास फोन आया तथा उसने मुझ से पुछा कि मेरा यही नम्बर व्हाटसअप नम्बर है क्या जिस पर मैने कहा कि हां। भागचन्द ने मुझे अपने व्हाटसअप नम्बर 9166234787 बताते हुए हाय लिखकर भेजने के लिए कहा जिस पर मैने हाय लिखकर भेजा। समय करीब 5.30 पीएम पर भागचन्द का व्हाटसअप पर वांयस कॉल आया तथा उसने बताया कि एफआईआर में जिनके नाम मैने आपको बताये है उन सबको कल वैन मे लेकर आ जावों। वकील को बीच में रखने की जरूरत नही है तुम्हारे ज्यादा नुकसान हो जायेगा। भागचन्द ने पूछा कि कितने की व्यवस्था हुई है, तो मैने कहा कि 60 हजार रूपये की व्यवस्था हुई है। इस पर उसने कहा कि 10–20 की ओर व्यवस्था करके आ जावों। मै सबके

अ

कल बयान लेकर फ्री कर दूंगा और डिप्टी साहब को भी बुला लुंगा। दुबारा बात की ओर मैने कहा कि मेरे साले जी का पैर टूटा हुआ है तथा आपके सी0ओ0 कार्यालय में कोई भी साधन नही आ पायेगा। इस पर उसने कहा कि गंज थाने पर आ जाना। मैने उपरोक्त दोनो वार्ताओं की विडियो रिकोर्डिगं मेरी पत्नी के मोबाईल से की है। इस पर परिवादी को कल दिनांक 06.02.2022 को मय सहपरिवादी एवं आरोपी श्री भागचन्द द्वारा बुलाये गये व्यक्तियों सहित अजमेर आने के लिए कहा गया।

दिनांक 06.02.2022 समय 11.40 एएम इस समय परिवादी श्री विनोद एवं सहपरिवादी श्री गणेश उर्फ गोविन्द दास एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान सर्वश्री बसंत कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक, श्री शंकर गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वनसंरक्षक, वन विभाग, अजमेर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादीगण एवं गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री विनोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़वाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत् सहमति प्राप्त की गई। परिवादी श्री विनोद ने दिनांक 05.02.2022 को उसके व आरोपी श्री भागचंद के मध्य हुई वाट्स अप पर वॉयस कॉल वार्ता की विडियो रिकार्डिंग की डीवीडी रूबरू गवाहान प्रस्तुत की, जिसकी कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से श्री त्रिलोक सिंह कानि0 से चार डीवीडीयां आरोपीगण एंव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल डीवीडी को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उस पर मार्क डी–1 अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। शेष डीवीडीयो को अलग–अलग कागज के लिफाफों मे रखा गया। सहपरिवादी श्री गणेश उर्फ गोविन्द दास ने दिनांक 03.02.2022 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन अपने मोबाईल से की गई विडियो रिकार्डिंग की डीवीडी रूबरू गवाहान प्रस्तुत की। जिसकी कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से श्री त्रिलोक सिह कानि0 से चार डीवीडीयां आरोपीगण एंव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल डीवीडी को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उस पर मार्क डी–2 अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। शेष डीवीडीयो को अलग–अलग कागज के लिफाफों मे रखा गया। समय 12.15 पीएम श्री शिव सिंह कानि0 रूपान्तरण वार्ता का वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड सत्यापन वार्ता से रूबरू गवाहान व बमौजूदगी परिवादीगण के सुन–सुन कर मिलान करवाया जाकर सही होना सुनिश्चित किया जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर फर्द पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से श्री त्रिलोक सिंह कानि0 से चार डीवीडीयां आरोपीगण एंव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उस पर मार्क एम–1 अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। डीवीडीयो को अलग–अलग कागज के लिफाफों मे रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड एवं डीवीडीयों को जमा मालखाना करवाया गया।

समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री विनोद वैष्णव के मोबाईल से आरोपी श्री भागचंद के मोबाईल पर फोन मिलाकर वार्ता करवायी गयी तो आरोपी भागचंद ने आधा घण्टा बाद बुलाया। इस पर परिवादी श्री विनोद वैष्णव एवं सहपरिवादी श्री गोविन्द दास उर्फ गणेश एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री बसंत कुमार शर्मा व श्री शंकर गुर्जर की उपस्थिति मे परिवादी को रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 2–2 हजार रूपये के 10 नोट एवं 500–500 रूपये के 80 नोट कुल 60,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि0 से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री विनोद वैष्णव द्वारा पहने हुए जॉकिट की नीचे दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादीगण एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री विनोद कुमार वैष्णव को लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को ऑपरेट करना समझाईस कर सुपुर्द किया गया। परिवादी एवं सहपरिवादी को अपने साथ वाले व्यक्तियो सहित पुलिस थाना गंज पर आरोपी भागचंद को रिश्वत राशि देने

हेतु ऑटो से रवाना कर उसके पीछे–पीछे गवाह श्री बसंत कुमार एवं श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक, गवाह श्री शंकर गुर्जर व श्री अर्जुन टाण्डी कानि0 को मोटर साईकिलों से तथा श्री शिव सिंह कानि0 मय श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 मोटर साईकिल, श्री त्रिलोक सिंह कानि0 मय मोटर साईकिल एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0 मय मोटर साईकिल के एवं श्री सुरेश कुमार कानि0 चालक को मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप सहित सरकारी वाहन से मुताबिक निर्देश रवाना होकर पुलिस थाना गंज के बाहर एवं आस–पास पहुॅचकर अपनी–अपनी उपस्थित छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। परिवादी व एक महिला थाना गंज में प्रवेश कर गये तथा परिवादी के शेष साथीगण थाना आहता में बैठे हुए दिखायी दे रहें। दिनांक 06.02.2022 को समय 10.05 पीएम पर परिवादी श्री विनोद वैष्णव ने रिश्वत राशि देने के पश्चात अपने मोबाईल न0 8849801783 से श्री रामचन्द्र हैड कानि0 के मोबाईल न0 9413862707 पर फोन कर बताया कि श्री भागचन्द रीडर ने अभी थोडी देर पहले मेरे से रिश्वत राशि 60,000 रुपये के नोट लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रख लिये तथा थाने की पीछे के गेट से बाहर निकल गया है। जिस पर मन् अति पुलिस अधीक्षक को पास ही खडे रामचन्द्र हैड कानि ने उपरोक्त बात बताई। इस पर थाने के पीछे के गेट की तरफ खडे श्री अर्जुन कानि0 के पास पहुचे जिसने बताया कि अभी अभी एक व्यक्ति ब्राउन कलर की पेंट व डार्क बल्यू चोकडीदार सर्ट व हाफ बाजू की स्वेटर पहने हुए था थाने के पीछे के गेट से निकल कर नगर निगम गोदाम के पास वाली गली की ओर गया है। इस पर परिवादीगण को फोन कर थाने के पीछे के गेट की तरफ बुलाया परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त किया गया, तथा रामचन्द्र हैड कानि व अर्जुन टांडी कानि0 को उक्त गली में रवाना किया गया तथा मन अति पुलिस अधीक्षक व गवाहन, परिवादीगण शेष ट्रेप पार्टी सदस्यो के मोटरसाईकिलो से थाने के आसपास की सडको व मोहल्लो में तलाशी प्रारम्भ की तथा आरोपी भागचन्द के मोबाईल मो0न0 9588299461 की टावर लोकेशन निकलवाने हेतु ब्यूरो की तकनीकी टीम को बताया। कुछ समय बाद आरोपी की टावर लोकेशन प्राप्त हुई जो घसेटी बाजार अजमेर आई। उक्त लोकेशन पर पहुचकर पुनः लाईव लोकेशन निकलावाई गई तो माखुपुरा रिको एरिया की ओर पाई गई। जिस पर सभी स्टाफ को फोन कर माखुपुरा रिको एरिया की ओर रवाना किया तथा मन अति पुलिस अधीक्षक मय हमराही स्टाफ रामचन्द्र हैड, शिवसिंह कानि0 एवं अर्जुन टांडी मय सरकारी वाहन के रेल्वे स्टेशन से माखुपुरा रिको एरिया की तरफ रवाना हुए। कुछ समय बाद त्रिलोक सिंह ने फोन कर बताया कि माखुपुरा बाईपास के कुछ पहले पार्वतेश्वर महादेव वाली गली में आरोपी श्री भागचन्द रावत का नेमप्लेट लगा हुआ मकान मिल गया है मै व परिवादी विनोद मकान के बाहर ही खडे है। इस पर उक्त मकान पर पहुचा जिसके बाहर त्रिलोक सिंह व परिवादी विनोद खडे मिले। उक्त मकान के लोहे के गेट के पास लगी हुई घण्टी को बजाया गया तो दरवाजा नही खुला। इसी दौरान कानि0 कैलाश व सहपरिवादी गणेश उर्फ गोविन्द तथा किरण कुमार कनिष्ठ सहायक व दोनो स्वतंत्र गवाहान के अलग अलग मोटर साईकिल से उपस्थित आये। कुछ देर इन्तजार व पुनः घण्टी बजाने पर भी दरवाजा नही खुला तो उक्त मकान की चारदिवारी को फांद कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व ट्रेप पार्टी सदस्यो ने मकान के अहाते में प्रवेश किया तथा मकान का गेट बजाया तो अन्दर से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई की कौन है? इस पर उक्त व्यक्ति को कहा की एसीबी स्टाफ के है, परन्तु उक्त व्यक्ति ने दरवाजा नही खोला। दरवाजे को जोर से खिंचा तो जाली के दरवाजे का हत्था टुट गया परन्तु दरवाजा नही खुला। काफी देर तक दरवाजे को जोर जोर से खिंचा ओर पटका तो भी दरवाजा नही खुला। पुनः उक्त व्यक्ति ने खिडकी से देखकर पूछा की कौन है तब उसे बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम है। फिर भी उक्त व्यक्ति व उसके परिवार वालो ने दरवाजा नही खोला। काफी जदोजहद के बाद कुछ देर बाद दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति पायजामा व इनर पहने हुए बाहर आया तथा

उसके साथ एक महिला, एक लडकी व एक लडका भी बाहर आया। उपरोक्त सभी को मन् अति पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व हमरारियान का परिचय दिया तथा उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो अपना नाम भागचन्द रावत पुत्र श्री बिजा सिंह रावत उम्र 43 साल, निवासी नया गांव पोस्ट राजगढ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हाल मकान न0 ए–1 जवाहर कालोनी पर्वतपुरा (माखुपुरा) बाईपास अजमेर हाल हैड कानि न0 1837 रीडर वृताधिकारी वृत दरगाह, अजमेर होना बताया तथा पास ही खडी महिला को अपनी पत्नि इन्द्रा तथा लडका आशीष पुत्र व लडकी मनीषा पुत्री होना बताया। उक्त श्री भागचन्द को आने का प्रयोजन बताकर पास ही खडे परिवादी श्री विनोद की ओर ईशारा कर पूछा कि क्या आपने अभी ढेड घण्टे पूर्व विनोद से इसके व इसके ससुराल वालो के विरुद्व दर्ज मुकदमें मे एफआर लगवाने की एवज में साठ हजार रिश्वत राशि ली है क्या? इस पर भागचन्द ने कहां कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है। पास ही खडे परिवादी श्री विनोद ने कहा कि रीडर साहब झुठ बोल रहे है इन्होने मेरे से साठ हजार रुपये लेकर अपनी पेन्ट की जेब में रखे थे। इस पर पुनः पूछा तो कोई जवाब नही दिया और गर्दन नीचे करके चूप हो गया। इसी दौरान नसीराबाद मुकिमशुदा उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रभुलाल व निरीक्षक पुलिस सग्राम सिंह की आरोपी वकिल श्री मनीष शर्मा की तलाश हेतु बताया गया। तत्पश्चात उक्त मकान में प्रवेश कर मकान के प्रथम कक्ष में सोफा व टी टेबल के पास भागचन्द हैड कानि को बिठाया गया तथा उक्त मकान से पीने के पानी का जग मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालवाया गया। उक्त दोनो कांच के गिलासो को पुनः साफ करवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री भागचन्द हैड कानि के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ एवं बांये हाथ के धोवण का रंग कमशः हल्का गुलाबी झांई देता हुआ व हल्का मटमेला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने कमशः हल्का गुलाबी झांई देता हुआ व हल्का मटमेला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क कमंशः आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी भागचन्द को उसके पहने हुए कपडो के बारे मे पूछा तो पास के कमरे में बने अटेच लेटबाथ में टंगे होना बताया। इस पर उक्त बाथरुम में से आरोपी द्वारा घटना के समय पहनी हुई ब्राउन कलर की पेंट व डार्क बल्यू चोकडीदार सर्ट व हाफ बाजू की स्वेटर मंगवाई गई तथा दो कांच के गिलासो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर दोनो गिलासे में साफ पानी भरवाकर दोनो गिलासो में एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल के एक गिलास में उक्त ब्राउन कलर की पेंट की बायी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का मटमेला हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा आधा भर कर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क एलपी–1, एलपी–2 अकित कर शिशिया कब्जें एसीबी ली गई। उक्त घोल के दुसरे गिलास में उक्त ब्राउन कलर की पेंट की दायी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा आधा भर कर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क आरपी–1, आरपी–2 अकित कर शिशिया कब्जें एसीबी ली गई। उक्त पेंट बरंग ब्राउन की दाहिनी व बायी जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर

करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर मार्क पी अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। इस प्रकार आरोपी के दाहिने हाथ का धोवण का हल्का गुलाबी झांईनुमा होना, आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब का रंग गुलाबी होना पाया जाने पर आरोपी श्री भागचन्द को पूनः पुछा गया कि आपके हाथ के घोवण व पेंट की जेब के धोवण के रंग क्रमशः हल्का गुलाबी झांईनुमा एवं गुलाबी होने से यह स्पष्ट है कि आप द्वारा रिश्वत राशि ली है। उक्त रिश्वत राशि कहा है? इस पर आरोपी भागचन्द ने बताया कि मैने रिश्वत राशि लेने के बाद शंका हो गई थी इसलिए मै थाने के पीछे के गेट से निकलकर नगर निगम गोदाम के पास वाली गली मे होता हुआ घसेटी मोहल्ला के पास चून पचान गली नला बाजार पहुंचा और वंहा पर रखी हुई मेरी मोटर साईकिल को लेकर घर के लिये रवाना हो गया था तथा मार्टिन ब्रिज के पास पहुंचकर रिश्वत राशि नीचे डाल दी है। इस पर पुनः पूछा कि आपको शंका किस हिसाब से हुई और आपने गंज थाने से लेकर मार्टिन ब्रिज तक रिश्वत राशि परिवहन करने के बाद अचानक मार्टिन ब्रिज के नीचे डालने की बात तर्कसंगत प्रतीत नही होती है सच बताओ रिश्वत राशि कहां छुपाई है। इस पर आरोपी चूप रहा एवं गर्दन नीचे कर ली तथा कई बार तस्सली देकर पूछने पर भी कुछ नही बताया एवं चूप रहा। जिस पर रुबरु गवाहान उक्त मकान में बने बाथरुम की तलाशी ली गई तो कही पर भी रिश्वत राशि नही पाई गई। जिस पर उक्त बाथरुम में बने लेटरिन (वेस्टन सीट) सीट के ढक्कन को उठाकर देखा गया तो पानी में नोटो का आगे का कुछ हिस्सा दिखाई देना गवाह श्री बसंत ने बताया। इस पर गवाह श्री शंकर गुर्जर को प्लास्टिक का दस्ताना पहनाकर उक्त लेटरिन सीट में से उक्त नोट निकलवाये गये तो नोट की एक गड्डी जिसमे कुछ नोट दो हजार रुपये व कुछ नोट पांच सौ रुपये के होकर उपर रबर लगा हुआ पाया गया। उक्त नोटो एवं गवाह श्री शंकर गुर्जर के हाथ वासवेसन में साबुन लगाकर धुलवाये गये तथा उक्त सभी नोटो को अखबार बिछाकर उनपर सुखाये गये। तत्पश्चात उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान द्वारा करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना बताया गया। बरामदशुदा नोटो पर एक कागज की चिट लगाकर सिल्ड चिट कर संबन्धित हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एन अंकित करा कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री भागचन्द को उक्त रिश्वत राशि के संबंध में पूछा गया कि आपने उक्त रिश्वत राशि किसके कहने से ली है तथा उक्त रिश्वत राशि में और किसका हिस्सा है जिस पर आरोपी श्री भागचन्द ने बताया कि मैने उक्त रिश्वत राशि 60 हजार रुपये आज लिये है इसके बारे में मैने डिप्टी साहब श्री पार्थ शर्मा को अभी तक नही बताया है परन्तु उक्त रिश्वत राशि में से मेरा हिस्सा 10 प्रतिशत ही है शेष हिस्सा राशि श्री पार्थ शर्मा डिप्टी साहब जो कि अनुसंधान अधिकारी हैं उनका हैं। विनोद वैष्णव व इसके ससुराल वालो के विरुद्व दर्ज प्रकरण संख्या 407/21 में आज दिन में विनोद व इसके ससुराल वालो के पुलिस थाना गंज पर आने पर मैने डिप्टी साहब को फोन कर बताया था तो डिप्टी साहब ने कहा कि मै अभी डयूटी में व्यस्त हूँ आप इनके पूछताछ नोट तैयार कर लो मै आउंगा जब देख लूंगा। मै रात्रि 10.00 पीएम तक इनके पूछताछ नोट लिखे परन्तु डिप्टी साहब नही आये इसलिए मैने रिश्वत राशि के संबंध में उनको नही बताया तथा ना ही उनको उनका हिस्सा दे सका। यदि उक्त कार्यवाही नही होती तो कल सुबह उनका हिस्सा दे देता। उक्त प्रकरण की पत्रावली के संबंध में पूछने पर बताया कि उक्त प्रकरण की पत्रावली एक लाल पेड में पुलिस थाना गंज में अनुसंधान कक्ष में रखी मेरी अलमारी के उपर पडी है। उक्त पत्रावली को प्राप्त करने एंव श्री पार्थ शर्मा उप अधीक्षक पुलिस को तलब कर लाने हेतु श्री कैलाश चारण हैड कानि0 श्री किरण कुमार कनिष्ठ लिपिक मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना दरगाह अजमेर की ओर किया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य लेन–देन वार्ता की रिकॉर्डिंग जो कि वॉइस रेकार्डर में दर्ज है को चालु कर सुनायी गई तो परिवादी ने एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज श्री भागचन्द रीडर की होना बताया व भागचन्द

उ

ने इसमे रेकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी होना बताया। समय करीब 3.45 ए.एम. पर श्री कैलाश चारण हैड कानि मय पार्थ शर्मा उप अधीक्षक पुलिस वृताधिकारी वृत दरगाह मय प्रकरण संख्या 407/2021 पुलिस थाना गंज जिला अजमेर की अनुसंधान पत्रावली सहित उपस्थित आये। श्री पार्थ शर्मा उप अधीक्षक पुलिस से परिवादी श्री विनोद व अन्य के विरूद्व दर्ज प्रकरण के अनुसंधान एंव आरोपी श्री भागचन्द द्वारा उक्त अनुसंधान के क्रम में परिवादी से 60,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध मे पूछा गया तो श्री पार्थ शर्मा ने बताया कि दिनांक 06.02.2022 को समय करीब 3.50 पीएम पर श्री भागचन्द हैड कानि का मेरे पास फोन आया था और उसने पूछा कि उदयपुर से प्रकरण संख्या 407/2021 में आरोपीगण आये हुये है पूछताछ नोट बना लू क्या? जिस पर मैने कहा कि पूछताछ नोट बना लो इसके अलावा और कोई बात नही हुई। श्री पार्थ शर्मा से उक्त संबंध में पूछताछ की जाकर उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण फर्द बरामदगी में अंकित किया गया। मौके पर उपस्थित आरोपी श्री भागचन्द से इस बाबत पूछा गया तो श्री भागचन्द ने बताया कि दिनांक 18.01.2022 को वकील श्री खुशाल राव का मेरे मोबाईल पर फोन आया था तथा उसने पूछा कि उदयपुर वाली पार्टी आयी है क्या तब मैने उससे कहा कि कल साहब उदयपुर ही जा रहे है। इसलिये हो सकता है कि खुशाल राव ने अधिवक्ता मनीष शर्मा को भी बता दिया हो। इस पर आरोपी श्री भागचन्द को पूछा गया कि मनीष शर्मा वकील को परिवादी विनोद के मोबाईल नम्बर किस प्रकार प्राप्त हुये क्योंकि मनीष शर्मा द्वारा परिवादी को दिनांक 06.01.2022 से इस प्रकरण में मामला रफा दफा करने व एफआर लगवाने के सम्बन्ध में लगातार बात कर डिप्टी साहब व तुम्हारे नाम से रिश्वत की मांग की जा रही थी तथा डिप्टी साहब का परिचित होना बताकर पूर्व मे भी इस तरह के कई प्रकरणो में डील करना बताया है? इस पर भागचन्द ने बताया कि मै मनीष को नही जानता था जनवरी माह मे खुशाल राव का फोन आया था तथा उसने प्रकरण संख्या 407/21 मे मुल्जिमो की तरफ से अपने आप को वकील होना बता रहा था। मेरी खुशाल राव से ज्यादातर वाट्सअप कॉल पर ही बातचीत होती थी। इन दोनो को विनोद के मोबाईल नम्बर किस प्रकार मिले मेरी जानकारी मे नही है। अन्य किसी मामले मे इनके द्वारा कोई डील की गई हो तो मेरी जानकारी मे नही है। तत्पश्चात श्री पार्थ शर्मा उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण संख्या 407/2021 की साथ लायी पत्रावली को प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो उक्त पत्रावली मे अन्तिम डायरी 02 दिनांक 01.01.2022 की कता की गई है इसके पश्चात की अनुसंधान की केस डायरी कता करना शेष है। श्री भागचन्द ने पूछने पर बताया कि 10–12 केस डायरिया ऑफ लाईन मेरे कम्प्यूटर पर काटी हुई है प्रिन्ट प्राप्त नही किया गया है। पत्रावली मे दिनांक 06.02.2022 को आरोपी विनोद से विडियो रिकॉर्डिंग की पेशकशी की फर्द, धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तथा पूछताछ नोट श्री विनोद वैष्णव,श्री अर्जुन दास, श्रीमती सीमा वैष्णव, श्री भूपेन्द्र कुमार, श्रीमती फूल कुमारी एंव श्री हितेश कुमार वैष्णव के सलंग्न पाये गये जिन पर श्री पार्थ शर्मा अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर होना शेष है। मूल पत्रावली पेज संख्या 1 से 144 तक श्री पार्थ शर्मा उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जावे। तत्पश्चात आरोपी श्री भागचन्द से अपने मोबाईल के सम्बन्ध मे पूछा गया तो अपने बैड पर रखा मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी मॉडल जे 7 बरंग गोल्डन प्रस्तुत करते हुये पूछने पर बताया कि इसमें एक सीम जीओ कम्पनी की होकर नम्बर 9588299461 है तथा दूसरी सीम एयरटेल कम्पनी की होकर नम्बर 9166234787 है। उक्त मोबाईल का अवलोकन किया गया तो परिवादी विनोद से वाट्सएप पर दिनांक 06.02.2022 को 9.47 ए.एम. पर, दिनांक 05.02.2022 को समय 7.24 पीएम पर वार्ता होना पाया गया इसी प्रकार श्री खुशाल राव अधिवक्ता मोबाईल नम्बर 8949389715 से दिनांक 10.01.2022 से 03.02.2022 तक कुल 8 बार वाट्सएप कॉल पर वार्ता होना पाया गया है। उक्त मोबाईल बतौर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। श्री पार्थ शर्मा उप अधीक्षक पुलिस से उनके मोबाईल फोन के सम्बन्ध मे पूछने पर दो मोबाईल फोन प्रस्तुत किये। मोबाईल फोन के अवलोकन किये गये तो एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का होना पाया गया जिसमें जीओ

कम्पनी की सीम होकर मोबाईल नम्बर 9414054234 व एक सरकारी सीम नम्बर 8764853009 होना पायी गई। दूसरा मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी का होकर उसमें वॉडाफोन कम्पनी की सीम नम्बर 9829042234 लगी हुई है। मोबाईल फोन का अवलोकन किया गया तो वकील मनीष शर्मा व खुशाल राव के मोबाईल नम्बर सेव होना नही पाया गया और ना ही कोई वार्ता होना पाया गया। इसी प्रकार वाट्सएप का अवलोकन किया गया तो किसी प्रकार की कॉलिंग व चैटिंग होना नही पाया गया। उक्त दोनो मोबाईल फोन श्री पार्थ शर्मा को पुनः लौटाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद फारिक उपरोक्त कार्यवाही के बरामदगी स्थल का नक्शा मौका फर्द तैयार की गई। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादीगण, दोनो गवाहान, समस्त ट्रेप पार्टी सदस्य, जब्तशुदा आर्टिकल एवं आरोपी श्री भागचंद को डिटेन कर हमराह लेकर मय सरकारी वाहन एवं मोटर साईकिलो से रवाना हो एसीबी कार्यालय अजमेर पहुॅचे। प्रकरण में जब्तशुदा समस्त आर्टिकल जरिये श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 जमा मालखाना करवाये गये। श्री प्रभुलाल उप अधीक्षक, श्री संग्राम सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्टॉफ एवं आरोपी श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता के उपस्थित कार्यालय आये। श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता से पृथक से पूछताछ की गई। इसी दौरान श्री कुशाल सिंह राव भी उपस्थित आये,जिससे भी पूछताछ की गई। आरोपी श्री मनीष शर्मा व श्री कुशाल सिंह राव के मोबाईल जरिये फर्द कब्जे एसीबी लिये गये। तत्पश्चात् श्री भागचंद हैड़ कानि0, श्री मनीष शर्मा एवं श्री कुशाल सिंह राव के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री विनोद कुमार वैष्णव एवं आरोपी श्री भागचंद के मध्य लेन–देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता एवं लेन–देन के समय रूबरू हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं चार डीवीडीयां तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री भागचन्द रावत हैड कानि एवं रीडर वृताधिकारी वृत दरगाह जिला अजमेर द्वारा अपने प्रभाव एवं पद का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री विनोद कुमार वैष्णव से उसके एवं उसके ससुराल वालो के विरुद्व दर्ज प्रकरण संख्या 407/21 धारा 454, 366, 376डी, 344, 377, 511 भादस पुलिस थाना गंज जिला अजमेर में एफआर लगवाने की एवज में अपने व अनुसंधान अधिकारी के नाम से दिनांक 03.02.2022 को आरोपी श्री मनीष शर्मा वकील, श्री खुशाल राव वकील एवं स्वयं द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना, दिनांक 03.02.22 को आरोपी श्री मनीष शर्मा वकील द्वारा वक्त सत्यापन परिवादी से 5000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं दिनांक 05.02.2022 को आरोपी श्री भागचंद द्वारा परिवादी को वॉटसअप पर वॉयस कॉल कर रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि व प्रकरण के समस्त आरोपियों सहित दिनांक 06.02.2022 को बुलाना तथा दिनांक 06.02.2022 को प्रकरण के आरोपी एवं ब्यूरो परिवादी विनोद एवं उसके ससुराल वालो के पूछताछ नोट अंकित किये जाने के पश्चात रात्री 10.00 पीएम पर परिवादी से 60 हजार रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पेंट की दाहिनी जेब में रखना, जो रिश्वत राशि एसीबी टीम को देखकर खुर्द बुर्द कर साक्ष्य मिटाने के आशय से आरोपी ने अपने निवास मे बाथरूम में बने वेस्टन लेटरिंग सीट मे डाल दी, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री भागचन्द हैड कानि0, श्री मनीष शर्मा एवं श्री कुशाल सिंह राव एवं अन्य का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व 201, 120 बी भादस का कारित करना प्रमाणित पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

सतनाम

(सतनाम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सतनाम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 201 व 120बी भादंसं में अभियुक्तगण (1)श्री भागचन्द रावत, हैड कानि. नं. 1837, रीडर वृत्ताधिकारी वृत्त दरगाह, अजमेर (2)श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री सांवर लाल शर्मा, हाल वकील, निवासी गांव माखुपुरा, अजमेर (3)श्री कुशाल सिंह राव पुत्र श्री भंवर सिंह राव हाल वकील, निवासी म.न. 525, अर्जुन लाल सैठी नगर आर्दश नगर, अजमेर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 35/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 332-36 दिनांक 8.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

8.2.2022
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।